न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 187/2020

1. सबीरी पुत्री सफी पत्नि मुकारब खान, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम मलसीसर।
2. सुबीदोलत पुत्री सफी पत्नि अयुब, जाति कायमखानी, निवासी गुढ़ा मोड, झुंझुनूं जरीये मुखतारनामा आम रामस्वरूप पुत्र लादुराम सैनी, आयु 45 साल, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 25 झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

1. इस्लाम पुत्र सफी, जाति कायमखानी मुसलमान, निवासी ग्राम नयासर, तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं।
2. बसीरन पुत्री सफी, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम नयासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. अब्दुल सतार पुत्र अब्दुला, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी ग्राम मोला बक्स की ढ़ाणी, नयासर, ग्राम नयासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा झुंझुनू रोड़ नं0 01 झुंझुनूं।
5. तहसीलदार महोदय झुंझुनं।

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय तहसीलदार झुंझुनूं नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 20.03.2007

1. मो0 कुर्बान, श्री हरिप्रसाद सैनी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. मो0 साकिब, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. मो0 रफीक, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 3 की ओर से उपस्थित नही।
4. श्री जाफर अली, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 4 की ओर से उपस्थित।
5. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पो0 सं0 5 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 22.12.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 20.03.2007 भूमि ग्राम नयासर के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की पुस्तैनी काश्त की भूमि ग्राम नयासर पटवार हल्का नयासर तहसील व जिला झुंझुनूं की

सरहद में स्थित जिसके खसरा नम्बर निम्न प्रकार खसरा नम्बर 601 रकबा 1.6000 है0, खसरा नम्बर 602 रकबा 1.0600 है0, खसरा नम्बर 603 रकबा 1.2400 है0, खसरा नम्बर 604 रकबा 1.2400 है0,खसरा नम्बर 606 रकबा 1.3700 है0, खसरा नम्बर 612 रकबा 0.5400 है0, खसरा नम्बर 613 रकबा 0.9500 है0, खसरा नम्बर 614 रकबा 1. 3000 है0, खसरा नम्बर 614 रकबा 1.3000 है0, खसरा नम्बर 615 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 616 रकबा 2.6700 है0 कुल खसरे 10 कुल रकबा 11.3900 है. भूमि स्थित है। अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टस सं0 1 व 2 एक ही पिता के वारिसान है यह की अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 के पिता मरहुम सफी पुत्र जिमरदी खां का अपने निवास स्थान मोहल्ला खोरा झुंझुनू में दिनांक 10.02.1990 को देहान्त हो गया था जिसका खानदानी सजरा निम्न प्रकार हैः–

जीमरदीखा पिता अशरफ खा (फोत दिनांक 04.11.1995)

<table>
<tr><td colspan="4">सफी (फौत दिनांक 10.2.90)</td><td>मजीद</td><td>हमीद</td><td>जीवन</td></tr>
<tr><td>ईसलाम (पुत्र)</td><td>बसीरन (पुत्री)</td><td>सबीरी (पुत्री)</td><td>सुबीदोलत (पुत्री)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

दिनांक 20.03.2007 को तहसीलदार झुंझुनूं ने सुफी पुत्र जिमरदी खां के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 66 रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम स्वीकृत कर दिया गया जबकि सफी पुत्र जिमरदी खां के हिस्से की भूमि में अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं0 2 का भी हक व हिस्सा बनता है जबकि तहसीलदार झुंझुनूं ने बगैर वारिसान की जांच किये बगैर ही सफी पुत्र जिमरदी खां के हक व हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण सिर्फ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम ही दर्ज कर दिया गया। अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण सं0 1 व 2 के पिता स्व0 सफी पुत्र जिमरदी खां की मृत्यु के बाद अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण सं0 1 व 2 के ताऊ जीवण खां पुत्र जिमरदी खां ने अपने निजी स्वार्थ के लिये रेस्पोडेन्ट सं0 1 से मिलकर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हक व हिस्से की भूमि के बाबत तहसीलदार झुंझुनूं के समक्ष एक प्रार्थना पत्र व फर्जी कुटरचित शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर की मेरे भाई सफी पुत्र जिमरदी खां की मृत्यु के बाद उनके सिर्फ जायज वारिसान इस्लाम है उस समय तहसीलदार झुंझुनूं को प्रस्तुत शपथ पत्र में सफी की पुत्रीयो अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं0 2 को वारिसान के रूप में छुपाया गया व तहसीलदार झुंझुनूं व पटवारी हल्का ने बगैर वारिसान की जांच किये बगैर व जीवण खां पुत्र जिमरदी के शपथ पत्र के आधार पर ही तहसीलदार झुंझुनूं ने नामान्तरण संख्या 66 दिनांक 20.03.2007 स्वीकार कर लिया गया जो उक्त नामान्तरकरण शुरू से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्टगण को सुनवाई हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना नही दी व ना ही सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत व दस्तावेज की जांच करवाये बगैर ही उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 20.03. 2007 स्वीकार कर लिया गया जो अन्तर्गत अपील निरस्तनीय है। अपीलान्टगण गरीब व अनपढ महिला है जिन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनी ज्ञान नही है और ना ही उन्हे किसी प्रकार की कानूनी पेचेदगी की समझ है विवादित भूमी हमेशा से अपीलान्टगण

के कब्जे में रही है व वर्तमान में भी अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं0 2 मौके पर काबिज है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 ने गलत नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 20.03.2007 की आड में अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने मरहुम सफी के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 3 को जरिये विक्रय –पत्र से दिनांक 12.01.2010 को विक्रय करके उप–पंजीयक झुंझुनूं से पंजीकृत करवा दिया गया उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 28.12.2010 स्वीकार कर लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 28.12.2010 की आड में उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने सम्पूर्ण हिस्सा की भूमी को रेस्पोडेन्ट सं0 3 के यहां से रहन कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरण न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धान्तो के प्रतिकूल है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्टगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 20.03.2007 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को आदेशित किया जाये की दुबारा विधिक वारिसानो की जांच की जाकर दुबारा निर्णय पारित किया जाये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टस सं0 1 व 2 एक ही पिता के वारिसान है यह की अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 के पिता मरहुम सफी पुत्र जिमरदी खां का अपने निवास स्थान मोहल्ला खोरा झुंझुनू में दिनांक 10.02.1990 को देहान्त हो गया था जिसका खानदानी सजरा निम्न प्रकार हैः–

जीमरदीखा पिता अशरफ खा (फोत दिनांक 04.11.1995)

<table>
<tr><td colspan="4">सफी (फौत दिनांक 10.2.90)</td><td rowspan="2">मजीद</td><td rowspan="2">हमीद</td><td rowspan="2">जीवन</td></tr>
<tr><td>ईसलाम (पुत्र)</td><td>बसीरन (पुत्री)</td><td>सबीरी (पुत्री)</td><td>सुबीदोलत (पुत्री)</td></tr>
</table>

दिनांक 20.03.2007 को तहसीलदार झुंझुनूं ने सुफी पुत्र जिमरदी खां के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 66 रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम स्वीकृत कर दिया गया जबकि सफी पुत्र जिमरदी खां के हिस्से की भूमि में अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं0 2 का भी हक व हिस्सा बनता है जबकि तहसीलदार झुंझुनूं ने बगैर वारिसान की जांच किये बगैर ही सफी पुत्र जिमरदी खां के हक व हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण सिर्फ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम ही दर्ज कर दिया गया। अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण सं0 1 व 2 के पिता स्व0 सफी पुत्र जिमरदी खां की मृत्यु के बाद अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण सं0 1 व 2 के ताऊ जीवण खां पुत्र जिमरदी खां ने अपने निजी स्वार्थ के लिये रेस्पोडेन्ट सं0 1 से मिलकर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हक व हिस्से की भूमि के बाबत तहसीलदार झुंझुनूं के समक्ष एक प्रार्थना पत्र व फर्जी कुटरचित शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर की मेरे भाई सफी पुत्र जिमरदी

खां की मृत्यु के बाद उनके सिर्फ जायज वारिसान इस्लाम है उस समय तहसीलदार झुंझुनूं को प्रस्तुत शपथ पत्र में सफी की पुत्रीयो अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं0 2 को वारिसान के रूप में छुपाया गया व तहसीलदार झुंझुनूं व पटवारी हल्का ने बगैर वारिसान की जांच किये बगैर व जीवण खां पुत्र जिमरदी के शपथ पत्र के आधार पर ही तहसीलदार झुंझुनूं ने नामान्तरण संख्या 66 दिनांक 20.03.2007 स्वीकार कर लिया गया जो उक्त नामान्तरकरण शुरू से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्टगण को सुनवाई हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना नही दी व ना ही सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत व दस्तावेज की जांच करवाये बगैर ही उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 20.03. 2007 स्वीकार कर लिया गया जो अन्तर्गत अपील निरस्तनीय है। अपीलान्टगण गरीब व अनपढ महिला है जिन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनी ज्ञान नही है और ना ही उन्हे किसी प्रकार की कानूनी पेचेदगी की समझ है विवादित भूमी हमेशा से अपीलान्टगण के कब्जे में रही है व वर्तमान में भी अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं0 2 मौके पर काबिज है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 ने गलत नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 20.03.2007 की आड में अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने मरहुम सफी के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 3 को जरिये विक्रय –पत्र से दिनांक 12.01.2010 को विक्रय करके उप–पंजीयक झुंझुनूं से पंजीकृत करवा दिया गया उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 28.12.2010 स्वीकार कर लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 28.12.2010 की आड में उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने सम्पूर्ण हिस्सा की भूमी को रेस्पोडेन्ट सं0 3 के यहां से रहन कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरण न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धान्तो के प्रतिकूल है। अतः अपीलान्टगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 20.03.2007 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को आदेशित किया जाये की दुबारा विधिक वारिसानो की जांच की जाकर दुबारा निर्णय पारित किया जाये।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 4 ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि सजरा सही है। अदालत मातहत द्वारा सजरे के मुताबिक सही नामान्तरकरण भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा सजरे के मुताबिक विरासतन नामान्तरकरण नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट्स का मुस्लिम विधि के तहत नामान्तकरकरण सं0 66 दिनांक 20.03.2021 भरे समय अदालत मातहत द्वारा ध्यान नही रखा गया है। अपीलान्ट्स को नामान्तरकरण सं0 66 दिनांक 20.03.2021 भरने से पहले समुचित रूप से नही सुना गया है। ऐसी स्थिति मे हम अदालत मातहत का आदेश दिनांक 20.03.2021 विधिनुकूल नही समझते। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है और अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 66 पर पारित आदेश दिनांक 20.03.2021 निरस्त किया जाता है तथा अपील इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण मे दस्तावेजों का पूर्ण अध्ययन कर अपीलान्ट की समुचित सुनवाई करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/12/2

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं